

165

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर
पुनरीक्षण प्र०क०-...../14-15



निगरानी 454-III-15

श्री जनार्दन शिपाजी एच
वृत्त पेशा फिषा मपा
13-2-15
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

चन्द्रमणि तिवारी तनय् रामप्रमोद तिवारी आयु 30 वर्ष निवासी
ग्राम पोस्ट लखहा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना
म०प्र० वर्तमान 172 फील्ड रेजीमेन्ट एल०ओ०सी० फारवर्ड
कुपवाडा जम्मू एण्ड कश्मीर.....निगराकार

बनाम

- 1- शासन म०प्र०
- 2- विनोद कुमार तिवारी
- 3- कृष्णदत्त तिवारी
- 4- रामनिवास तिवारी
- 5- बब्लू तिवारी तीनों के पिता रामविश्वास तिवारी
- 6- रामविष्णु तिवारी
- 7- कृष्णदत्त तिवारी
- 8- राजेन्द्र तिवारी
- 9- सच्चिदानन्द तिवारी सभी के पिता स्व० रामऔतार तिवारी
- 10- रामविश्वास तिवारी तनय् स्व० हनुमान प्रसाद तिवारी सभी
निवासी ग्राम पोस्ट लखहा तहसील रामपुर बाघेलान जिला
सतना म०प्र०.....गैरनिगराकारगण

47
13-2-15

क्रमांक 4593
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश अधीक्षक भू
अभिलेख सतना जिला सतना के
प्र०क०-691/14 मे पारित आदेश
दिनांक 17/06/14
पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50
म०प्र०भू०रा०सं०-1959

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य


- 1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा लखहा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.454-III/15

जिला-सतना

चन्द्रमणि तिवारी / शासन, विनोद कुमार तिवारी

(1)	(2)	(3)
17.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	